मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल-462004

//आदेश //

भोपाल,दिनांक 07 अगस्त, 2026

क्रमांक- 1/1/3/0008/2026-Sec-1-05(CT) :- राज्य शासन द्वारा निज सहायक के पद से वरिष्ठ निज सहायक के पद पर वर्ष 2025 की रिक्तियों के संदर्भ में दिनांक 29.07.2026 को सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित निज सहायक को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक वरिष्ठ निज सहायक के पद पर सातवें वेतनमान में वेतन मेट्रिक्स लेवल-10 (42700-135100) में अस्थायी रूप से पदोन्नत किया जाता है:-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना
1.	श्री गोपाल दास डेहरिया	जबलपुर वृत्त-1	जबलपुर परिक्षेत्र
2.	श्रीमती विजय लक्ष्मी	जबलपुर वृत्त-3	सतना संभाग
3.	श्रीमती श्रद्धांजली वर्मन	अपील जबलपुर	ग्वालियर परिक्षेत्र
4.	श्री राजेश ताड़	मुख्यालय, इंदौर	मुख्यालय, इंदौर
5.	श्रीमती शीतल धुर्वे	भोपाल संभाग-1	इंदौर परिक्षेत्र-1
6.	श्रीमती माया भारती	टैक्स ऑडिट विंग भोपाल	भोपाल परिक्षेत्र

2/ उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए होंगी।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमाक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा किये गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उप धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

4/ उपरोक्त समस्त पदोन्नतियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 13954/2016 एवं SLP (C) No. 6295/2023 के आदेश के अध्यधीन रहते हुए तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में पारित किए जाने वाले आदेशों के अध्यधीन होंगी ।

5/ समस्त पदोन्नत लोक सेवकों को अपने निम्न पद के कार्यभार से उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल प्रभाव से भारमुक्त किया जाता है।

6/ जिन पदोन्नत शासकीय सेवकों को इस आदेश द्वारा स्वीकृत वेतनमान अथवा इससे उच्च वेतनमान पूर्व में समयमान वेतनमान योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया जा चुका है उन्हें छोडकर शेष शासकीय सेवकों को मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के नियम 13 के अनुसार आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Rajesh Ogrey
Date: 07-08-2026
18:23:27

(राजेश ओगरे)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग

पृ. क्रमांक 1/1/3/0008/2026-Sec-1-05(CT) भोपाल, दिनांक 07 अगस्त 2026

प्रतिलिपि-

1. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, वाणिज्यिक कर विभाग।
3. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वाणिज्यिक कर विभाग।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश, इंदौर। उक्त आदेश को वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल।
7. संबंधित अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर।
8. संबंधित उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर।
9. संबंधित सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर।
10. कोषालय अधिकारी जिला ------------- ।
11. संबंधित अधिकारी श्री .... , द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग